भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2114

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवसादरोधी दवाओं की बिक्री

†2114. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में बेची गई अवसादरोधी दवाओं की संख्या संबंधी आँकड़े हैंऔर यदि हाँ, तो वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान में स्वीकृत, उपलब्ध और बेची जाने वाली अवसादरोधी दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में ऑफ-लेबल उपयोग के लिए अवसादरोधी दवाओं का नुस्खा लिखा जा रहाहै और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऑफ-लेबल संकेतों के लिए अवसादरोधी दवाओं के दुरुपयोग या अनुचित नुस्खे लिखने से रोकने केलिए सुरक्षा उपाय और विनियामक उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ई-फार्मेसी प्लेटफार्मों के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण के विनियमन के संबंध में पहली बार 2018 मेंअधिसूचित किए गए प्रारूप नियमों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): देश में औषधि की बिक्री, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियम, 1945 के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से विनियमित की जाती है और एसएलए उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वैधानिक रूप से सशक्त हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अवसादरोधी औषधि की बिक्री से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

विगत तीन वर्षों में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने देश में उपयोग के लिए सात अवसादरोधी औषधि उत्पादों को अनुमोदित किया है। अवसादरोधी औषधि सहित औषधि को उसके संकेत, खुराक का स्वरूप, सेवन विधि और संख्या के साथ विनियामक ढांचे के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

सभी राज्य औषधि नियंत्रकों और अन्य हितधारकों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन हेतु तथा औषधियों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न नोटिस/परामर्शी/पत्र जारी किए गए हैं।

(ङ): दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को व्यापक रूप से विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 28.8.2018 की अधिसूचना के माध्यम से मसौदा नियम प्रकाशित किया है, जिसमें ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने हेतु औषधि नियम, 1945 में संशोधन पर जनता तथा हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं।

नियम मसौदा में ई-फार्मेसी के पंजीकरण, ई-फार्मेसी के आवधिक निरीक्षण, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई-फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई-फार्मेसी की निगरानी आदि के प्रावधान शामिल हैं।
